

05-03
2024

पत्रावली पैत्रा हुई। वकील वादी व वादीगण न्यायालय में अनुपस्थित। वादीगण की न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन छार अलग-अलग समय पर आवाज लगवाई गई बावजूद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में वाद-पत्र में वादी की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से पत्रावली इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
रायतभाटा (चित्तौड़गढ़)

